मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 23-05-2015 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1- श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- श्री एस0 रामास्वामी, प्रमुख सचिव/आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- श्री डी0एस0 गर्ब्याल, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- श्री मौहम्मद शाहिद, सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
5- श्री सी0एस0नपलच्याल, आयुक्त, गढ़वाल परिक्षेत्र।
6- श्री विनोद शर्मा, सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7- श्री अनिल रतूड़ी, अपर महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
8- श्री संजय गुंज्याल, आई0जी0 पुलिस, उत्तराखण्ड।
9- श्री पुष्कर सिंह सैलाल, डी0 आई0 जी0 पुलिस, कुमायूँ परिक्षेत्र।
10- श्री ए0एस0हयांकी, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11- श्री बृजेश कुमार संत, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
12- श्रीमती सीमा जौनसारी, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
13- श्री आर0के0कुंवर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14- श्री रूपेन्द्र दत्त शर्मा, अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. शिक्षा, उत्तराखण्ड।
15- श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
16- श्री राजीव चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता, प्रोजेक्ट शिवालिक, सीमा सड़क संगठन।
17- श्री के0पी0उप्रेती, वरिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
18- श्री एच0के0 उप्रेती, ई.आई.एल, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
19- श्री जे0पी0काला, स्टाफ आफिसर, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
20- श्रीमती सुनीता सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।
21- श्री राजीव कुमार मेहरा, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या 295/2012 एस0राजशेखरन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22-04-2014 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों यथा लाईसेन्स, फिटनेस, ओवरलोडिंग, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, यातायात नियमों का पालन एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की तैनाती आदि को लागू किए जाने के निर्देश दिए गए। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री के0एस0राधाकृष्णन (मा0 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। राज्य द्वारा मा0 समिति के समक्ष अपना पक्ष/उत्तर दिनांक 29-04-2015 को प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अभी तक किये गये उपायों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु व्यापक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

1- केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 215 की उपधारा (2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिसूचना संख्या-663/ix-1/39/2014 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। मा0 उच्चतम

न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में कतिपय कार्य आबकारी, शहरी विकास, शिक्षा एवं वित्त विभाग से संबंधित है। अतः परिषद में प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त विभाग को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, परिषद का पुनर्गठन किया जाये। इसके अतिरिक्त परिषद की वर्ष में 02 बैठकें अनिवार्य रूप से आहूत की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि परिषद द्वारा स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले विशेष सदस्य को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

2— सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के संचालन हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सैल का गठन किया गया है। इसी प्रकार पुलिस, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग में भी सड़क सुरक्षा सेल का गठन करते हुए सैल के सदस्यों के नाम, पदनाम, टेलीफोन नम्बर, ई—मेल आदि की सूचना परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित की जाये। उक्त सैल द्वारा अपने विभाग में सड़क सुरक्षा के संबंध में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

3— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सरुक्षा समिति द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमर्गों से शराब की दुकानें हटायी जानी है। इस संबंध में दिनांक 14—05—2015 को भारत सरकार में संम्पन्न बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दमन दीव एवं लक्ष्यदीप में राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आबकारी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सचिव, आबकारी विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के भीतर एवं बाहर के राजमार्गों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत करें और दिनांक 30—06—2015 से पूर्व राज्य के निर्णय से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सरुक्षा समिति को अवगत कराया जाये।

4— राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के साथ—साथ समय—समय पर भू—स्खलन एवं अन्य आपदा आती हैं, जिससे जन—जीवन प्रभावित रहता है। अतः दुर्घटनाओं/आपदा के समय विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक वाल—मेल एवं सूचनाओं के त्वरित आदान—प्रदान के दृष्टिगत पुलिस, वन, परिवहन आदि को Integrated Wireless System से जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त किसी सिविल संस्था को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके।

5— पुलिस विभाग द्वारा हाई—वे पेट्रोलिंग बढ़ाने, राजमार्गों पर नई क्रेनों की उपलब्धता, एल्कोमीटर, स्पीड रडारगन आदि के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि क्रेनों के लिए प्राईवेट वाहन स्वामियों का सहयोग प्राप्त किया जाए और उनसे क्रेन आदि किराये पर लेकर कार्य किया जाए।

6— किसी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मोटरबाईक एम्बुलेन्स की व्यवस्था पर भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। प्रारम्भ में इसे पायलट रूप में देहरादून/हरिद्वार अथवा देहरादून/हल्द्वानी में संचालित कर देखा जाए और यदि इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, तो इसका अन्य जनपदों में विस्तार किया जाए।

7— राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों एवं ओ0एम0आर0 पर ब्लैक स्पोट का चिन्हीकरण एवं उनका निराकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार भविष्य में कार्यवाही की

जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 3 या अधिक दुर्घटना वाले स्थलों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि उक्त ब्लैक स्पॉट के निराकरण हेतु सूची सड़क निर्माण सम्बन्धी संस्था यथा–लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन आदि को तत्काल उपलब्ध करायी जाए।

8– सड़कों पर बरसात के पानी आदि से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बेलदार/पेट्रोल यूनिट को सुदृढ़ किया जाए ताकि तत्काल आवश्यक मरम्मत आदि करते हुए सड़क को सही दशा में रखा जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गए कि सड़कों के अनिवार्य रख–रखाव के दृष्टिगत एक Scrupper and Maintenance Regulation Act तैयार किया जाए।

9– सड़कों के किनारे आवश्यक साईनेज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पर्यटन विभाग के पास इस हेतु कुछ बजट उपलब्ध है, जिससे सूचनापट्ट लगाए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग पर्यटन विभाग से सम्पर्क करते हुए दुर्घटना स्थल एवं ब्लाईन्ड स्पॉट आदि पर आवश्यक साईनेज लगाए जाएं।

10– पुलिस विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है, जहॉ हाई रेजुलेशन कैमरा लगाकर निगरानी किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त कैमरों से वाहन के नम्बर, गति, राज्य में प्रवेश का समय आदि रिकॉर्ड किया जा सकता है तथा इस डाटाबेस का उपयोग पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि योजना का प्रस्ताव तैयार करते हुए शीघ्र प्रस्तुत किया जाए और सभी सम्बन्धित विभागों को इससे जोड़ा जाए।

11– परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले चालक लाईसेंसों की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

(1) प्रत्येक कार्यालय में शिक्षार्थी लाईसेंस जारी करने से पूर्व सभी आवेदकों की परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से अनिवार्य की जाये। इस हेतु कार्यालयों को पर्याप्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये जाये।

(2) चालक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी की स्थापना हेतु वन विभाग से भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही में तेजी लायी जाये।

(3) चालक लाईसेन्स जारी करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। स्थायी लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा कड़ाई से ली जाए ताकि योग्य चालक ही लाईसेन्स प्राप्त कर सके। यह भी निर्देश दिए गए कि चालकों की परीक्षा हेतु प्रत्येक संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में हल्के एवं भारी वाहन सिमुलेटर्स की स्थापना की जाये।

(4) चालकों की भौतिक परीक्षा हेतु प्रथम चरण में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंहनगर, काशीपुर, रूड़की, विकासनगर, कोटद्वार एवं अल्मोड़ा में ऑटोमेटिड ड्राईविंग ट्रैक्स की स्थापना की जाये। इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक भूमि की व्यवस्था करायी जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन स्थानों पर भूमि उपलब्ध है/उपलब्ध हो जाती है, उसके लिये आवश्यक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(5) इस बात पर भी विचार किया जाए कि शिक्षार्थी लाईसेन्स एवं स्थायी लाईसेन्स जारी करने के लिए पृथक–पृथक अधिकारी हों ताकि लाईसेन्स की गुणवत्ता का सुधार किया जा सके।

12– परिवहन कार्यालय द्वारा वाहनों की फिटनेस की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

(1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों में वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। 2 हल्के एवं 2 भारी लेन वाले सेन्टर की स्थापना हेतु लगभग 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता है एवं इस हेतु रूपये 14.40 करोड़ का व्यय अनुमानित है। योजना में 100 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। परिषद को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश में उक्त केन्द्र की स्थापना में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध ए0आर0ए0आई0, पुणे का सहयोग लिया जा रहा है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि राज्य में उक्त प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को प्रेषित किया जाये

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि ऋषिकेश के पश्चात् उक्त प्रमाणीकरण केन्द्र देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, कोटद्वार एवं अल्मोंड़ा में स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक भूमि की व्यवस्था करायी जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन स्थानों पर भूमि उपलब्ध है/उपलब्ध हो जाती है, उसके लिये बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(3) वर्तमान में राज्य में तकनीकी कार्य हेतु मात्र 22 पद सृजित है। राज्य गठन से अभी तक वाहनों की संख्या लगभग 06 गुना हो गयी है। अतः यदि प्रत्येक कार्यालय में लाईसेंसों की संख्या, फिटनेस की संख्या एवं अन्य तकनीकी कार्यों के समानुपात में तकनीकी अधिकारियों के पद सृजित किये जाते हैं, तो प्रत्येक अधिकारी आवंटित कार्य को अधिक गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर सकता है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक कार्यालय हेतु अपेक्षित तकनीकी अधिकारी की आवश्यकता का आगणन तैयार किया जाये और पदों में वृद्धि का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाये।

13— परिषद को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विभाग में प्रवर्तन दलों के पास पर्याप्त वाहनें, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रवर्तन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में यद्यपि शहरी परिवहन निधि का गठन किया जा रहा है, परन्तु प्रवर्तन दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त निधि के गठन होने तक विभाग द्वारा अपेक्षित बजट का प्रस्ताव अनुपूरक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये।

14— चालकों की थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से चालकों के कार्य घण्टों पर दृष्टि रखी जाए। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के उक्त निर्देशों का निगम की वाहनों में पूर्णतः पालन किया जा रहा है और किसी भी चालक से 8 घण्टे से अधिक ड्यूटी नहीं ली जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि लम्बी दूरी की वाहनों में 02 चालकों की व्यवस्था की गई है।

15— मार्ग पर चालकों के विश्राम हेतु प्रत्येक 100 किमी0 पर ड्राईवर रेस्ट एरिया की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य में मार्ग के किनारे निजी मकानों को किराये पर लेकर चालक विश्रामगृह के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य में भी बनायी जा सकती है।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–449/ix–1/23(2014)/2015
देहरादून, दिनांक 29 जून 2015

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8– अपर महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
9– श्री संजय गुंज्याल, आई0जी0 पुलिस, उत्तराखण्ड।
10– श्री पुष्कर सिंह सैलाल, डी0 आई0 जी0 पुलिस, कुमायूँ परिक्षेत्र।
11– निजी सचिव, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
12– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
13– श्रीमती सीमा जौनसारी, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14– श्री आर0के0कुंवर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
15– श्री रूपेन्द्र दत्त शर्मा, अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. शिक्षा, उत्तराखण्ड।
16– श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
17– श्री राजीव चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता, प्रोजेक्ट शिवालिक, सीमा सड़क संगठन।
18– श्री के0पी0उप्रेती, वरिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
19– श्री एच0के0 उप्रेती, ई.आई.एल, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
20– श्री जे0पी0काला, स्टाफ आफिसर, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(जीवन सिंह तिलड़ा)
उप सचिव।